

होगा। आवेदन प्रपत्र के कंडिका—9 में दिया गया स्थायी निवास का पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—

(a) जाति प्रमाण—पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसिल) प्रमाण—पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण—पत्र एवं जाति प्रमाण—पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण—पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :—

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2342, दिनांक— 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक— 16144, दिनांक— 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) आवेदन प्रपत्र में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. शुल्क :—

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/- (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 75/- (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/- (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या **31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। उम्मीदवार बैंक चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण—पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंयं निर्णय ले सकते हैं।

8. अन्यः:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग—अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग—अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

9. अंतिम तिथि :—

(i) पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्वाचित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह शुक्रवार, 06 अक्टूबर, 2017 के संध्या 5.00 बजे तक विशेष सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना— 800001 के पते पर अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कर्तर्ज जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन—पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

10. प्रविष्टि:

- (i) आवेदन—पत्र इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए—4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन—पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्लाइंट पेन से स्वहस्तालिपि में साफ—साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; सही एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें। यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
- (iii) आवेदन—पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे :-
- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|
| सि | न | । | र | । | धा |
|----|---|---|---|---|----|
- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा— ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे:- ANIL | KUMAR | RAM
- (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
- (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछ़ङ्गा वर्ग के लिये 04 एवं पिछ़ङ्गा वर्ग के लिये 05 भरें।
- उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझा जाएगा एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।
- (v) स्तम्भ (कॉलम) 13 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।
- (vi) स्तम्भ (कॉलम) 14 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (X) कर दें।

11. फोटोग्राफः—

आवेदन—पत्र के पृ.—1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन—अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम—से—कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

12. योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन—पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण—पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
13. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
14. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

15. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमावार अवश्य संलग्न करें।
- (i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 - (ii) बी.यू.एम.एस. डिग्री प्रमाण—पत्र;
 - (iii) बी.यू.एम.एस. डिग्री के सभी सत्र का अंक—पत्र;
 - (iv) स्नातकोत्तर (यूनानी) प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र;
 - (v) इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र;
 - (vi) विहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद विहार, पटना में अद्यतन निबंधन एवं आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य पंजी में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण—पत्र;
 - (vii) जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में प्रकाशन के संबंध में प्रभारी प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/गाइड, जिसके अधीन पेपर तैयार किया हो, का प्रमाण पत्र;
 - (viii) संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो;

- (ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्राणित प्रति;
- (x) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे;
- (xi) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्राणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- (ii) 16×10 से.मी. का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (iii) इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) जिसपर विज्ञापन सं. एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) पर अपना पूरा पता अंकित करें।
16. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
17. उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निदेश आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से भिन्न, मुद्रित, टकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
18. आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार, मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

2/18/2017
विशेष सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।